न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 5/2023 **दायर दिनांकः 09.01.2023**

उनवान

1. आनन्दीलाल आयु 42 वर्ष पुत्र केसरीलाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. रामहेतार आयु 51 वर्ष पुत्र केसरीलाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर

निर्णय **दिनांक 13/02/2023**

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के अनुसार ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 484 के ख0न0 283 का रकबा 0.03 है0, ख0न0 284 का रकबा 0.02 है0, ख0 न0 315 का रकबा 0.22 है0, ख0न0 316 का रकबा 0.89 है0, ख0न0 385/1635 का रकबा 0.10 है0, ख0न0 415 की 0.55 है0, ख0न0 416 का रकबा 0.32 है0, ख0न0 521 का रकबा 0.11 है0 कुल किता 8 का कुल रकबा 2.24 है0 आराजी स्थित है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 1/2—1/2 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आाजी का मौके पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ने आपसी सहमती से बंटवारा कर रखा है। लेकिन आराजी शामलाती खाते दर्ज होने से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य काश्त को लेकर व लगान राज अदायगी को लेकर आये दिन विवाद उतपन्न होता रहता है तथा वादी अपने हिस्से की आराजी का कृषि विकास कार्य अपनी इच्छानुसार नहीं करवा पाता हे एवं

ऋण आदि प्राप्त करने में काफी असुविधा होती हें वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 से वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन करवाने से इनकार कर दिया तथा लडाई झगडा करने पर आमादा हुआ। तत्पश्चात वादी ने प्रतिवादी क्रम 2 से आराजी का खाता विभाजन करने का निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में दावा पेश करने की हिदायत दी। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन किया जाना संभव नहीं हे अस्तुवादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन हिस्से व कब्जे अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी हिस्सा 1/2 पृथक करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में पृथक से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 29.12.2022 को वादी द्वारा वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन करवाने का प्रतिवादी क्रम 1 से निवेदन किया तो उसके द्वारा मना करने पर व दिनांक 03.01.2023 को प्रतिवादी क्रम 2 से आराजी का खाता विभाजन करने का निवेदन करने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर अंतिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद विभाजन आराजी का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया जाकर यह वाद पेश किया गया है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम सहरोद तहसील अटरू में स्थित होने एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश हे जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद पेश कर वादी निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जाए।

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 484 की कुल किता 8 का रकबा 2.24 है0 आराजी में हिस्सा 1/2 वादी व हिस्सा 1/2 प्रतिवादी क्रम 1 के पृथक पृथक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का खाता विभाजन करके पृथक से राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी में दर्ज किया जाए। इस हेतु प्रतिवादीगण क्रम 2 को आदेश प्रदान किया जाए।

(ब) यह कि वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा दिनांक 25.01.2023 को पेश कर कथन किया गया कि उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में जैरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत हे। उपरोक्त उनवान के वाद में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। राजीनामा निम्न प्रकार से है– वादी आनन्नदीलाल का हिस्सा–ख0नं0 315 का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 316 का रकबा 0.89 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.11 है0 तथा प्रतिवादी रामहेतार का हिस्सा ख0नं0 283 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 284 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 415 का रकबा 0.55 है0, ख0नं0 385/1635 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 416 का रकबा 0.32 है0, ख0नं0 521 का रकबा 0.11 है0 कुल किता 6 का रकबा 1.13 है0 दर्ज की जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा पेश कर निवेदन हे कि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य हुए उक्त राजीनामें अनुसार आराजी का खाता विभाजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से पृथक–पृथक से खाते दर्ज किया जावे।

3. राजीनामा पढ़कर सुनाया गया जिसे वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान श्री महावीर प्रसाद नागर एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री भीमराज नागर एड0 द्वारा की गई जो तस्दीक कर शा0 फा0 किया गया ।

4. वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से पेश राजीनामा के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम सहरोद की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या 484 ख0नं0 283 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 284 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 315 का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 316 का रकबा 0.89 है0, ख0नं0 385/1635 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 415 का रकबा 0.55 है0, ख0नं0 416 का रकबा 0.32 है0, ख0नं0 521 का रकबा 0.11 है0 कुल किता 8 का रकबा 2.24 है0 आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सा 1/2–1/2 दर्ज रिकार्ड है। वाद बहुलता को रोकने के लिए आपसी सहमति से पेश राजीनामा को न्यायहित में स्वीकार किया गया।

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत सहखातेदारी की आराजी के विभाजन के लिए धारा 53 का अवलोकन जरूरी है जो निम्न प्रकार है–

A division of holding shall be effected in the following manner- (i) by agriment between the co-tenants in respect of- (a) Such division of the holding , and (b) the distribution of rent over the several portions in to which the holding is so divided, or

(ii) by the decree or order of competent court passed in a suit by one or more the co-tenants for the purpose of the deviding the holding and distrebuiting the rent hereof over the several portions into which it is divided.

6. उपरोक्त विवेचन तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से पेश राजीनामा के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से पेश राजीनामा के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट0 न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 484 की कुल किता 8 का रकबा 2.24 है0 का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा अनुसार— **वादी आनन्दीलाल** के —ग्राम सहरोद के ख0नं0 315 का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 316 का रकबा 0.89 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.11 है0 तथा **प्रतिवादी रामहेतार** के— ख0नं0 283 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 284 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 415 का रकबा 0.55 है0, ख0नं0 385/1635 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 416 का रकबा 0.32 है0, ख0नं0 521 का रकबा 0.11 है0 कुल किता 6 का रकबा 1.13 है0 आराजी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 5/2023 **दायर दिनांकः 09.01.2023**

उनवान

1. आनन्दीलाल आयु 42 वर्ष पुत्र केसरीलाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. रामहेतार आयु 51 वर्ष पुत्र केसरीलाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू के खाता संख्या 484 की कुल किता 8 का रकबा 2.24 है0 का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा अनुसार– **वादी आनन्दीलाल** के –ग्राम सहरोद के ख0नं0 315 का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 316 का रकबा 0.89 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.11 है0 तथा **प्रतिवादी रामहेतार** के– ख0नं0 283 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 284 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 415 का रकबा 0.55 है0, ख0नं0 385/1635 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 416 का रकबा 0.32 है0, ख0नं0 521 का रकबा 0.11 है0 कुल किता 6 का रकबा 1.13 है0 आराजी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 13.02.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)